न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 971–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2015 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, कुक्षी जिला धार प्रकरण कमांक 126/बी–121/2014–15.

1– बाबुलाल पिता फाटा भीलाला
2– केलाबाई पति बाबुलाल भीलाला
3– छोटू पिता बाबुलाल भीलाला
निवासीगण ग्राम सुसारी झिनफल्या
तहसील कुक्षी जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

रामेश्वर पिता फाटा भीलाला
निवासी ग्राम आमलझुमल
तहसील कुक्षी जिला धार .....अनावेदक

श्री शलज सक्सेना, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विजय नागपाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, कुक्षी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, कुक्षी जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम आमलझुमल स्थित सर्वे कमांक 107/4/1 रकबा 0.200 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 113/10/2 रकबा 0.055 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 131/3/2 रकबा 1.0.81 हेक्टेयर है । सर्वे कमांक 131/3/2 का मूल सर्वे

कमांक 131/3 था, जिसमें शामिलाती कुँआ स्थित था । उभय पक्ष शामिलाती कुँएं का सिंचाई हेतु उपयोग करते चले आ रहे थे । वर्तमान में आवेदकगण द्वारा अनावेदक को सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है, और सिंचाई करने नहीं दी जा रही है, अतः सप्ताह में 3–3 दिन उभय पक्ष को बारी–बारी से सिंचाई करने के निर्देश दिये जायें । अनावेदक द्वारा अंतरिम तौर से सिंचाई करने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–12–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक को सिंचाई हेतु पानी दिये जाने में की गई बाधा तत्काल हटाने एवं अनावेदक को आवश्यकता अनुसार निर्वाद रूप से पानी उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये गये । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 131 रास्ते के संबंध में है, कुंए से सिंचाई के संबंध में उक्त धारा लागू नहीं होती है, इसलिए तहसील न्यायालय को इसी आधार पर आवेदन पत्र निरस्त करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि चूंकि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पोषणीय नहीं था, इसलिए संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतरिम आदेश भी पारित नहीं किया जा सकता था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कुँए से सिंचाई के स्वत्व के संबंध में निराकरण हेतु व्यवहार न्यायालय सक्षम है, तहसील न्यायालय को उक्त विवाद निराकृत करने का अधिकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र रास्ते के संबंध में नहीं होकर स्वत्व के संबंध में है, और स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि यदि अनावेदक को सिंचाई हेतु पानी प्राप्त नहीं होता तो उसकी फसल नष्ट हो जाती । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और वे इस न्यायालय में प्रस्तुत तर्कों को तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि पूर्व में उभय पक्ष के मध्य 8 वर्ष पूर्व बटवारा हुआ, और आवेदकगण के हिस्से में आया है । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि कुंए से पानी की अनुमति संहिता की धारा 131, 32 के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि संहिता की धारा 131 रास्ते के विवाद से संबंधित है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, कुक्षी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 निरस्त किया जाता ह । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर